प्रश्न सं. [क्र. 4358]

परिशिष्ट -

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – 4358

विभाग से उत्तर देने का दिनांक 17/03/2022

सदन में उत्तर देने का दिनांक 25/03/2022

सदस्य – श्री राजेश कुमार प्रजापति

(4)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 02/08/2021

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 10/08/2021 विभाग का नाम : सामान्य प्रशासन

विषय : आदेश की प्रति उपलब्ध बावत।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 652) श्रीराजेश कुमार प्रजापति

क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2749 दिनांक 3/3/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि अधीक्षक जिला जेल के पत्र दिनांक 5/6/2012 अनुसार अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा हुए है लेख किया था? यदि हां तो क्या अधीक्षक जिला जेल द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी? यदि हां तो अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) यदि नहीं तो क्यों अधीक्षक जिला जेल द्वारा उक्त पत्र में लेख किया था कि उक्त व्यक्ति को अपर कलेक्टर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा किया गया था? कारण स्पष्ट करें? (ग) अपर कलेक्टर के द्वारा किए गए निरुद्ध एवं रिहा किए गए आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराएं? (घ) क्या उक्त व्यक्ति को अपराधिक प्रकरण दर्ज कर ही जेल भेजा गया था? यदि हां तो अपराधिक प्रकरण की प्रति उपलब्ध कराएं।

Reply By : GAD | Digitally Sign Date : 08/11/2021 03:22:39 | Status: Final

मुख्यमंत्री : (क) जिला जेल छतरपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार बंदी प्रवेश रजिस्टर जीर्ण शीर्ण हालत में होने से रिहाई आदेश एवं जेल में निरूद्‌ होने की प्रति अनुपलब्ध है । (ख) अधीक्षक जिला जेल छतरपुर द्वारा पत्र दिनांक 05/06/2012 जारी किया गया था, जिसमें आरोपी स्वामी प्रसाद अग्रवाल पिता रामचरण अग्रवाल निवासी छतरपुर धारा 151 के अंतर्गत अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेशानुसार दिनांक 12/08/1975 को जिला जेल छतरपुर में दाखिल हुआ था । अपर कलेक्टर छतरपुर के रिहाई आदेश क्रमांक 31 दिनांक 18/08/1975 के पालन में दिनांक 18/08/1975 को जमानत से रिहा किया गया था । (ग) संबंधित दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 39/1975 जा0फौ0 धारा 151 विनिष्ट होने से राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने से प्रति दिया जाना संभव नहीं रह गया है । (घ) प्रकरण वर्ष 1975 का होने व रिकार्ड निर्सन होने के कारण इस्तगासा 151 की कार्यालयीन प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं रह गया है ।

Attachment :

Verify Digital Signature

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सा.प्र.वि. (कक्ष 13)